

निश्चय संख्या-08(अध्यक्ष की अनुमति से)

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक- 03.03.2012 में “बिन्दु संख्या-08”(अध्यक्ष की अनुमति से)
के अन्तर्गत अधोलिखित निर्णय लिया

बिन्दु सं०-08 कतिपय अध्यापकों द्वारा द्वितीय शनिवार के बदले गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को देय अवकाश की भौति अध्यापकों को भी अवकाश दिये जाने का प्रस्ताव परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- इस प्रकरण पर विचार विमर्श के समय मा०कुलपति जी ने 180 दिन अध्यापन कार्य की अनिवार्यता की तरफ परिषद् का ध्यान आकृष्ट किया और कुलसचिव ने परिषद् को अवगत कराया कि अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में यह अवकाश शिक्षकों को नहीं दिया जाता है। तत् पश्चात् परिषद् के कतिपय सदस्यों द्वारा यह मांग किया गया कि मानवीय आधार पर यह अवकाश शिक्षकों को भी दिया जाय जिस पर परिषद् ने इस वर्ष उक्त अवकाश दिये जाने पर सहमति व्यक्त करते यह व्यवस्था दिया कि अगले वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य के मूल्यांकन के पश्चात् प्रकरण विचारणीय होगा।

(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

पत्रांक:- कु०स०-समिति/ 762- /कार्य परि०/12

तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा०कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
4. समस्त प्राचार्य- सम्बद्ध महाविद्यालय।
5. सहा०कुलसचिव- सम्बद्धता/सा०प्रशारण।
6. श्री विनोद कुमार- प्रभारी, संगणक केन्द्र।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव